न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 102 / 24
जीसीएमएस न. 2024 / 257
दायर दिनांक: 18.07.2024

उनवान

रामस्वरूप पुत्र मवासी जाति जाटव नि. बवेखर तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

––वादी

बनाम

1 प्रभू 2 प्रकाश पुत्रान मवासी 3 लच्छो पत्नि रामसिंह 4 परसराम 5 शेरसिंह 6 कुमरसिंह पुत्रान रामसिंह 7 भौरी 8 मीना पुत्रियान रामसिंह 9 नन्दलाल पुत्र रामसिंह जातियान जाटव नि. बवेखर तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

––असल प्रतिवादीगण

10 केशव पुत्र मन्नूराम 11 गुड्डी पत्नि सुखदेव 12 पन्नी पुत्र कुन्दन 13 फूलसिंह पुत्र मन्नूराम 14 बनयसिंह पुत्र सुखदेव 15 बाबूलाल पुत्र कुन्दन 16 रूपो पुत्री कुन्दन 17 सोनी पुत्र कुन्दन जातियान जाटव नि. बवेखर तह. भुसावर जिला भरतपुर 18 राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.।

––तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा विभाजन व हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता :–

1 श्री राजू सैनी ––वादी
2 श्री लेखराज चौधरी ––प्रति.

निर्णय दिनांक 29.04.2026

वादी वकील द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 20 रकवा 0.9700 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 25 रकवा 0.5600 हेक्टेयर वाके ग्राम बवेखर तहसील भुसावर जिला भरतपुर मे स्थित है, जिसमे वादी 1/10 हिस्से का व शेष हिस्से पर मुताविक जमावन्दी सम्वत 2075 लगायत 2078 मे दर्ज हिस्से अनुसार असल प्रतिवादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण काविज काश्तकार एवं खातेदार है। तथा इसी प्रकार से मौके पर काविज रहकर काश्त करते हुए राज लगान राज्य सरकार को अदा करते चले आ रहे है। उक्त आराजी का खातेदार रामसिह पुत्र मवासी का देहान्त हो चुका है, जिसके तरके पर उसके जायज वारिसान असल प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 9 काविज है, जिन्हे इस वाद में पक्षकार मुकदमा बनाये गये है।

उक्त वर्णित आराजीयात वादी एवं असल प्रतिवादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व संयुक्त काश्तकारी की अविभाजित आराजी है, जिसका विभाजन अभी तक वादी एवं असल प्रतिवादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीटस एण्ड बाउण्ड नही हुआ है। परन्तु उक्त आराजी का बाहमी मनवट वादी एव असल प्रतिवादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण ने करते हुए अपने अपने हिस्से पर काविज है। लेकिन वादी को आराजी मे निहित हिस्से से कम आराजी मौके पर दे रखी है। जिसका लाभ असल प्रतिवादीगण वादी को नही होने देते है। और जोतने बोने नही देते है। तथा अच्छी अच्छी व मौके की आराजी को अपने कब्जे मे लेकर बिना विभाजन कराये ही दीगर व्यक्तियो के लिए रहन, वय व मुन्तकिल करने पर आमादा है। जबकि असल प्रतिवादीगण को बिना विभाजन कराये आराजी के किसी भी अंश भाग को दीगर व्यक्तियो के लिए रहन, वय व मुन्तकिल करने का कोई भी कानूनी अधिकार प्राप्त नही होते है।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०

दिनाक 30.06.2024 को वादी ने प्रतिवादीगण से वादग्रस्त आराजी का कानूनी विभाजन कराने के लिए कहा, तो असल प्रतिवादीगण ने इंकारी करते हुए धमकी दी कि हम तो अपने कब्जे मे अच्छी अच्छी व मौके की आराजी को लेकर रहेगे, और तुझे तेरे हिस्से की आराजी नही देगे, और अच्छी व मौके की आराजी को किसी दीगर व्यक्तियो के लिए रहन, वय व मुन्तकिल करते हुए तुझे अच्छी व मौके की आराजी से बेदखल कर महरूम कर देगे, और तुझे तेरी आराजी पर शान्ति पूर्वक काश्त भी नही करने देगे। और तुझे आराजी से बेदखल कर महरूम कर देगे। अतः वादी वादग्रस्त आराजी का कानूनी विभाजन बाई मीट एण्ड बाउण्ड करा पाने का अधिकारी है।

वादी द्वारा निवेदन किया गया है कि विवादित आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य कानूनी विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द फरमाया जावे।

हमने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक से की गई। नोटिस की ताईद मे प्रतिवादीगण की ओर से वकालतनामा एवं जवाब दावा श्री लेखराज चौधरी एड. द्वारा पेश किया गया।

हमने बहस पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमे प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भली भांति अवलोकन किया गया। उभयपक्ष द्वारा विभाजन प्रस्ताव बाबत सहमति जताई गई।

अतः दावा वादी प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर कुरेजात रिपोर्ट हेतु तहसीलदार, भुसावर को लिखा गया। जिसकी पालना मे तहसीलदार, भुसावर द्वारा अपने पत्रांक/भू.अ./2025/6638 दिनांक 30.10.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव भिजवाया गया।

हमने बहस पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमे प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड तथा विभाजन प्रस्ताव का भली भांति अध्ययन किया गया। उक्त के आधार पर हम दावा वादी डिक्री किया जाना उचित पाते है।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आपके द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के पत्रांक/भू.अ./2025/6638 दिनांक 30.10.2025 अनुसार उभयपक्षकारान के मध्य खातेदारी की जावे तथा नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम, 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

रण संख्या: 102 / 24 दायर दिनांक: 18.07.2024
सीएमएस नं. 2024 / 257

उनवान

रामस्वरूप पुत्र मवासी जाति जाटव नि. बवेखर तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

––वादी

बनाम

1 प्रभू 2 प्रकाश पुत्रान मवासी 3 लच्छो पत्नि रामसिंह 4 परसराम 5 शेरसिंह 6 कुमरसिंह पुत्रान रामसिंह 7 भौरी 8 मीना पुत्रियान रामसिंह 9 नन्दलाल पुत्र रामसिंह जातियान जाटव नि. बवेखर तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

––असल प्रतिवादीगण

10 केशव पुत्र मन्नूराम 11 गुड्डी पत्नि सुखदेव 12 पन्नी पुत्र कुन्दन 13 फूलसिंह पुत्र मन्नूराम 14 बनयसिंह पुत्र सुखदेव 15 बाबूलाल पुत्र कुन्दन 16 रूपो पुत्री कुन्दन 17 सोनी पुत्र कुन्दन जातियान जाटव नि. बवेखर तह. भुसावर जिला भरतपुर 18 राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.।

––तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा विभाजन व हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता :–

1 श्री राजू सैनी ––वादी
2 श्री लेखराज चौधरी ––प्रति.

<u>डिक्री दिनांक 29 / 04 / 2026</u>

तहसीलदार भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आपके द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 6638 दिनांक 30.10.2025 अनुसार उभयपक्षकारान के मध्य खातेदारी की जावे तथा नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०